न्यूज़ टुडे

कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि "हिज़ाब, धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है"

- हाईकोर्ट ने यह निर्णय उस याचिका पर दिया है जिसमें स्कूल और कॉलेज में **कक्षाओं के अंदर यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या सिर पर स्कार्फ पहनने के अधिकार की मांग की** गयी थी।
- **कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा?**
  - मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिज़ाब (हेड स्कार्फ) पहनना, **इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं** है। इसे **संविधान के अनुच्छेद 25** के तहत **धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण प्राप्त नहीं** है।
  - स्कूल यूनिफॉर्म का निर्धारण, **अनुच्छेद 19(1)(a)** के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। यह **अनुच्छेद 21** के तहत निजता के अधिकार का भी उल्लंघन नहीं करता है।
  - **शैक्षणिक संस्थानों में हिज़ाब पहनने पर प्रतिबंध,** एक ऐसा **युक्तियुक्त प्रतिबंध** (reasonable restriction) है, जिसकी अनुमति संविधान में भी है।

- **"अनिवार्य धार्मिक प्रथा परीक्षण"** (essential religious practice test) **क्या है?**
  - यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 1954 के **"शिरूर मठ" मामले** में प्रस्तुत किया गया था।
  - सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत केवल ऐसी धार्मिक प्रथाओं की रक्षा के लिए विकसित किया है, जो धर्म के अनुसार आचरण के लिए **आवश्यक और धर्म का अभिन्न हिस्सा** हैं।
  - सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि **'धर्म'** शब्द, एक धर्म के लिए 'अभिन्न (integral)' सभी रिवाजों और प्रथाओं को शामिल करेगा।
  - कौन–सी प्रथाएं **अनिवार्य** हैं और कौन–सी **गैर–अनिवार्य,** इसे निर्धारित करने की जिम्मेदारी कोर्ट ने अपने ऊपर ले ली।
  - सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग–अलग फैसलों में अनिवार्य और गैर–अनिवार्य प्रथाओं में अंतर करने का प्रयास किया है।

संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत, वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने में जुटा है

- गलवान की घटना के बाद, **भारत–चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर** अपग्रेड किया जा रहा है।
  - संसदीय समिति द्वारा पेश रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने **चीन सीमा पर 32 सड़कों के निर्माण को मंजूरी** दी है, जिनमें से **आठ** पर काम शुरू हो गया है।
  - चीन सीमा पर **32 हेलीपैड का निर्माण** किया जा रहा है और उन्हें आधुनिक बनाया जा रहा है।
- **सीमा पर बुनियादी ढांचे को विकसित करने की जरूरत क्यों है?**
  - इससे **सैनिकों,** बख्तरबंद वाहनों और आर्टिलरीज़ (या तोपची सैनिकों) की **शीघ्र आवाजाही** सुनिश्चित होगी।
  - **अवैध गतिविधियों** (जैसे कि गैर–कानूनी प्रवास, नकली मुद्रा आदि) पर **लगाम लगाने में मदद** मिलेगी।
  - **आंतरिक (हिंटरलैंड) इलाकों से संपर्क स्थापित करने में मदद** मिलेगी। इससे लोगों में सुरक्षा बलों और सरकार के प्रति सकारात्मक धारणा निर्मित होगी और लोग सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
  - इससे **सीमा–पार से घुसपैठ और सीमा–पार उग्रवाद के खतरों को कम करने** में मदद मिलेगी।
  - पड़ोसी देशों के साथ **व्यापार संबंधों में सुधार** होगा।
- **सीमा पर बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय:**
  - **"वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम":** मुख्य रूप से भारत–चीन सीमा पर दूरस्थ बस्तियों में सामाजिक और वित्तीय बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए इसकी घोषणा की गयी है।
  - **सीमा अवसंरचना और प्रबंधन** (Border Infrastructure & Management: BIM)**:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक अम्ब्रेला योजना है। यह योजना सीमा प्रबंधन, पुलिसिंग और सीमाओं की रखवाली में सुधार के लिए संचालित की जा रही है।
  - **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम** (Border Area Development Programme)**:** इसे व्यापक सीमा प्रबंधन के लिए संचालित किया जा रहा है।
  - **सीमा सड़क संगठन के बजट में वृद्धि:** वित्त वर्ष 2021–22 की तुलना में केंद्रीय बजट 2022–23 में, सीमा सड़क संगठन के लिए पूंजीगत व्यय में रिकॉर्ड 40 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।

प्रधान मंत्री आवास योजना– ग्रामीण (PMAY-G) में नये बदलाव

- इस **योजना के तहत किए जा रहे कार्यों में वृद्धि करने के लिए** निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:
  - मकानों की स्वीकृति और निर्माण कार्य पूरा होने के बीच के अंतराल जैसे **विभिन्न मानकों पर इसकी निगरानी** की जा रही है।
  - केंद्रीय हिस्से और राज्य के हिस्से को **कोषागार से स्टेट नोडल अकाउंट (SNA) में समय पर जारी करने पर बल** दिया जा रहा है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्यों के साथ नियमित संपर्क स्थापित किया जा रहा है।
  - **"ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण"** कार्यक्रम के तहत **ग्रामीण राजमिस्त्री को प्रशिक्षण** दिया जा रहा है। इससे बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्री उपलब्ध होंगे, जिससे गुणवत्तापूर्ण मकानों का तेजी से निर्माण हो सकेगा।
- इसके अलावा, हाल ही में, **ग्रामीण विकास मंत्री** ने इस योजना के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी के लिए **"PMAY-G डैशबोर्ड"** लॉन्च किया है।
  - यह डैशबोर्ड **"PMAY-G एक नज़र में"** के द्वारा इस **योजना की संपूर्ण जानकारी** प्रदान करता है। इस डैशबोर्ड में शामिल हैं:
    - **सिंगल स्क्रीन विज़ुअलाइज़ेशन:** इससे योजना की संपूर्ण भौतिक और वित्तीय प्रगति की जानकारी प्राप्त हो जाती है।
    - **राज्य स्तरीय रिपोर्ट:** इसमें ब्लॉक स्तर तक योजना से संबंधी सूचना प्राप्त की जा सकती हैं।
    - इससे किस्त आदि जारी करने में लगने वाले **समय/विलंब** का विश्लेषण उपलब्ध होता है।

अब तक की उपलब्धियां:

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को **2.62 करोड़ (कुल का 88.81%) आवास आवंटित करने का लक्ष्य** रखा गया है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा **2.27 करोड़ (कुल का 76.9%) लाभार्थियों** के लिए मकान स्वीकृत किए गए हैं।
- **1.74 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा** कर लिया गया है।

PMAY-G के बारे में

- इसे **वर्ष 2016** में शुरू किया गया था।
- इस योजना का उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं से युक्त **2.95 करोड़ पक्का मकान** बनाने के लिए **पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता** प्रदान करना है।
- लाभार्थियों का चयन **सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC), 2011** में उल्लिखित आवास अभाव मानकों के आधार पर किया जाता है।
  - ग्राम सभाओं द्वारा इन मानकों का सत्यापन किया जाता है।
- लागत को **केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60:40 के अनुपात** में और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है।

कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ते हुए, भारत 24,000 करोड़ रुपये के सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड्स जारी करने की योजना बना रहा है

- भारत का लक्ष्य कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में तब्दील होना है। इसी दिशा में भारत कम–से–कम **24,000 करोड़ रुपये या 3.3 अरब अमेरिकी डॉलर के सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड्स जारी करने जा रहा है।**
- **ग्रीन बॉण्ड्स या हरित बॉण्ड्स क्या हैं:** ये बॉण्ड्स **केवल पर्यावरण या जलवायु संबंधी सकारात्मक लाभ प्रदान करने वाली** परियोजनाओं के वित्त–पोषण के लिए जारी किए जाते हैं। ये बॉण्ड्स कंपनियों, सरकारों और बहुपक्षीय संगठनों द्वारा जारी किए जाते हैं। साथ ही, इससे **निवेशकों को एक निश्चित आय** भी प्राप्त होती है।
  - इन परियोजनाओं में **अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन** और **ग्रीन बिल्डिंग** आदि शामिल हो सकते हैं।
  - **विश्व का पहला ग्रीन बॉण्ड वर्ष 2007 में** यूरोपीय निवेश बैंक और विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया था।
- **ग्रीन बॉण्ड्स के लाभ:**
  - इससे **जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों को कम करने में सहायता** मिलती है। जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु **कार्बन टैक्स** जैसी बदलती नीतियों के कारण परिसंपत्तियों पर दवाब बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रीन बॉण्ड्स मददगार सिद्ध हो सकते हैं और इनके द्वारा जलवायु–अनुकूल परिसंपत्तियों का वित्तपोषण किया जा सकता है।
  - इसके चलते जुटाई गयी राशि के उपयोग और परियोजना प्रबंधन में **पारदर्शिता और जवाबदेही** बढ़ेगी।
  - इससे सनराइज सेक्टर्स (जैसे– अक्षय ऊर्जा) के लिए धन जुटाने में मदद मिलेगी। इस प्रकार यह भारत के सतत विकास में योगदान देगा।
  - इससे **पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन** (Environment, Social and Governance: ESG) संबंधी आवश्यकताओं और ग्रीन निवेश से संबंधित अनिवार्यताओं को पूरा करने करने में मदद मिलेगी।
  - यह देश में जलवायु अनुकूलन, खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऊर्जा आपूर्ति आदि में योगदान करेगा।
- **ग्रीन बॉण्ड्स के समक्ष चुनौतियाँ:**
  - ग्रीन बॉण्ड्स से जुड़ी परियोजनाओं के लिए **क्रेडिट रेटिंग का अभाव;** और
  - साझा रूप से स्वीकार्य ग्रीन मानकों का अभाव।

ग्रीन बॉण्ड्स के समक्ष चुनौतियाँ:

- वर्ष 2015 में, निजी क्षेत्र के यस बैंक (Yes Bank) ने **भारत का पहला ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड** जारी किया था। इसके माध्यम से 1,000 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई थी।
- वर्ष 2017 में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ग्रीन बॉण्ड के लिए प्रकटीकरण मानदंड या डिस्क्लोजर नॉर्म्स जारी किए थे। इसके तहत जारीकर्ता को ऐसी प्रतिभूतियों को जारी करने संबंधी **पर्यावरणीय उद्देश्यों** को प्रकट करना अनिवार्य है।
- वर्ष 2018 में, **भारतीय स्टेट बैंक** ने 650 मिलियन डॉलर का **सर्टिफाइड क्लाइमेट बॉण्ड** जारी कर, ग्रीन बॉण्ड्स बाजार में कदम रखा था।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 के अनुसार, भारत में ग्रीन बॉण्ड्स के मामले में वर्ष 2019 की पहली छमाही में 10.3 अरब डॉलर का लेन–देन हुआ। इससे **भारत, चीन के बाद दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन बॉण्ड बाजार** बन गया।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens: NRC) में शामिल होने से वंचित रह गए लोगों की शिकायतों की जांच करने के लिए असम ने एक मंत्रिमंडलीय उप–समिति का गठन किया है

- यह उप–समिति उन **19 लाख लोगों की समस्याओं की जांच करेगी, जिन्हें अगस्त 2019 में प्रकाशित NRC की पूरक सूची** (supplementary list) **में शामिल नहीं** किया गया था।
- **NRC के बारे में:**
  - यह एक प्रकार का रजिस्टर है, जिसमें **सभी भारतीय नागरिकों का विवरण** शामिल है।
    - वर्तमान में, **असम एकमात्र राज्य है जिसके पास NRC है। इसे पहली बार वर्ष 1951 में तैयार किया गया** था और अंतिम बार वर्ष 2019 में अपडेट किया गया था।
  - NRC को **नागरिकता अधिनियम, 1955 तथा नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान–पत्र जारी करना) नियमावली, 2003** के प्रावधानों के अनुसार अपडेट किया गया था।
- **असम समझौता (वर्ष 1985)** में निम्नलिखित प्रावधान किया गया था:
  - यदि असम का कोई निवासी **25 मार्च, 1971 से पहले** असम में अपनी उपस्थिति, या अपने पूर्वज की उपस्थिति साबित कर सकता है तो उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा।
    - इस प्रकार, NRC को अपडेट करने की प्रक्रिया **वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद** आरंभ हुई।
- NRC में किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं होने पर, तुरंत उसे **विदेशी नागरिक घोषित नहीं किया जाता है।** ऐसे व्यक्तियों के पास **"विदेशी विषयक अधिकरण"** (Foreigners' Tribunals) के सामने अपना केस प्रस्तुत करने का विकल्प होता है।
  - यदि **कोई व्यक्ति अधिकरण में अपना केस हार जाता है, तो वह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है।**

ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (Production Linked Incentive: PLI) योजना ने लक्ष्य से अधिक निवेश आकर्षित किया है

- ऑटो सेक्टर की इस योजना के तहत पांच वर्षों की अवधि में 42,500 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस **लक्ष्य की तुलना में यह योजना 74,850 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को आकर्षित करने में सफल** रही है।
  - ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के लिए PLI योजना को वर्ष 2021 में अधिसूचित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य उच्च श्रेणी के ऑटोमोटिव उत्पादों के विनिर्माण में देश की क्षमताओं को बढ़ाना है।
- इस योजना के दो घटक हैं: **चैंपियन** OEM **प्रोत्साहन योजना** (Champion OEM Incentive Scheme) और **कम्पोनेंट चैंपियन प्रोत्साहन योजना** (Component Champion Incentive Scheme)।
  - यहां OEM से तात्पर्य **मूल उपकरण विनिर्माता** (Original Equipment Manufacturer) से है।
  - चैंपियन OEM प्रोत्साहन योजना **सभी सेगमेंट के बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों के लिए** है।
  - कंपोनेंट चैंपियन प्रोत्साहन योजना **वाहनों के उच्च श्रेणी के ऑटोमोटिव तकनीक आधारित घटकों; कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन** (CKD) **किट;** दोपहिया व तिपहिया वाहनों, यात्री वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों और ट्रैक्टर्स के लिए है।
- यह योजना **मौजूदा ऑटोमोटिव कंपनियों और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियों** के लिए खुली है।
- **भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर:**
  - ऑटोमोबाइल उद्योग ने **वित्त वर्ष 2019-20 में 26.36 मिलियन वाहनों का विनिर्माण** किया।
    - भारत में ऑटो सेक्टर **देश के विनिर्माण आधारित सकल घरेलू उत्पाद में 35% का योगदान** देता है।
  - इसके अलावा, भारत के ऑटो सेक्टर के **वर्ष 2026 तक वॉल्यूम (संख्या) के मामले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोटिव बाजार** के रूप में स्थापित होने का अनुमान है।

अन्य सुर्खियाँ

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की सदस्यता {North Atlantic Treaty Organisation (NATO) Membership}

- **नाटो की सदस्यता के लिए प्रक्रिया निम्नलिखित है:**
  - **नाटो सदस्यों के बीच सहमति बनने के बाद,** आवेदक देश **मेम्बरशिप एक्शन प्लान** में शामिल होता है। यह सदस्यता के लिए सबसे पहला चरण है।
  - इसके बाद नाटो, उक्त देश को **वाशिंगटन संधि** (इसे **नाटो संधि** भी कहा जाता है) में एक **पक्षकार बनाने के लिए एक संशोधन** पेश करता है।
  - इसके बाद, नया सदस्य नाटो संधि में शामिल होता है।
- **नाटो की सदस्यता के लिए आवश्यक मानदंडों में शामिल हैं**– लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली, बाजार अर्थव्यवस्था, अल्पसंख्यक आबादी के साथ उचित व्यवहार, आदि।
- **नाटो का गठन वर्ष 1949 में** किया गया था। इसे **संयुक्त राज्य अमेरिका,** कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सामूहिक सुरक्षा (collective security) प्रदान करने के उद्देश्य से गठित किया गया है।

एम्प्लॉई स्टॉक ऑनरशिप प्लान (Employee Stock Ownership Plan: ESOP)

- ESOP वस्तुतः **कर्मचारी को लाभ पहुँचाने की एक योजना** है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को उस कंपनी में शेयर या स्टॉक या स्वामित्व प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसके लिए वे काम कर रहे हैं।
- इसका उद्देश्य कंपनी के कामकाज में शेयरधारकों, जो कर्मचारी भी हैं, को शामिल करके **कंपनी के प्रदर्शन में सुधार करना और शेयरों के मूल्य में वृद्धि करना है।**
- ESOP कंपनियों को **कर लाभ** प्रदान करता है। इस प्रकार यह मालिकों द्वारा प्राप्त लाभ को कर्मचारियों को ट्रांसफर करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।

बहिनी योजना (Bahini scheme)

- **सिक्किम,** निःशुल्क सैनिटरी पैड प्रदान करने के लिए **वेंडिंग मशीन स्थापित करने की एक योजना** बना रहा है। इसे **बहिनी योजना** के नाम से जाना जाएगा।
- ऐसा पहली बार है जब किसी राज्य सरकार ने 9-12 तक की कक्षा में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है।
- इसका उद्देश्य **स्कूलों से लड़कियों के ड्रॉपआउट को रोकना और मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के बारे में जागरूकता** बढ़ाना है।

मुंबई में मार्च महीने में ही 'लू या हीटवेव' की चेतावनी (Mumbai experiencing heatwave in March)

- आमतौर पर भारत में लू या हीटवेव, **मार्च से जून** तक चलती है। कभी-कभी यह **जुलाई** में भी देखने को मिलती है।
- हालांकि, अभी मुंबई सहित कोंकण क्षेत्र में हीटवेव जारी है। इसके निम्नलिखित कारण हैं:
  - **यह निकटवर्ती सौराष्ट्र-कच्छ (गुजरात) क्षेत्रों में जारी हीटवेव के प्रत्यक्ष प्रभाव में है।**
  - इसके अलावा, **महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में समुद्र समीर** (sea breeze) **की धीमी गति** और **पूरी तरह से साफ आसमान** की दशाओं के परिणामस्वरूप ऐसी उष्ण स्थितियां पैदा हुई हैं।
- किसी क्षेत्र को निम्नलिखित दशाओं में लू या हीटवेव से प्रभावित माना जाता है:
  - यदि मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाए,
  - यदि तटीय इलाकों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाए, आदि।

 सीवीड (Seaweed)	❍ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय **सीवीड क्षेत्र** के प्रगतिशील विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ❍ **सीवीडः** यह **समुद्री पादप** और **शैवाल** की अनगिनत प्रजातियों के लिए एक साझा नाम है। ये समुद्र के साथ–साथ नदियों, झीलों और अन्य जलीय निकायों में भी उगते हैं। ❍ मछुआरों के सशक्तीकरण के लिए **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना** के तहत भी **सीवीड फार्मिंग** को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ❍ **सीवीड,** समुद्री घास (seagrass) से अलग होते हैं, क्योंकि **सीवीड** गैर–संवहनी (नॉन–वैस्कुलर) व मैक्रोएल्गा जैसे पादप की तरह होते हैं। इनमें **वास्तविक जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं।** ❍ समुद्री घास **संवहनी पादप** (vascular plant) जैसे होते हैं, जिसमें **वास्तविक जड़, तना और पत्तियां** होती हैं।
 मैन–पोर्टेबल एयर–डिफेंस सिस्टम (Man-Portable Air-Defence Systems: MANPADS)	❍ कई सारे पश्चिमी देश युद्ध में यूक्रेन की सहायता के लिए **मैनपैड्स** (MANPADS) भेज रहे हैं। ❍ **मैनपैड्स के बारे में:** ➢ ये **कम दूरी तक हमला करने वाली एक हल्की, पोर्टेबल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइले हैं।** इन्हें विमान या हेलीकॉप्टर को नष्ट करने के लिए व्यक्तियों या कुछ लोगों के समूहों द्वारा भी दागा जा सकता है। ➢ इन्हें कोई व्यक्ति अपने **कंधे से भी दाग** सकता है। साथ ही, इन्हें किसी **वाहन के ऊपर से,** ट्राइपॉड या स्टैंड से, हेलीकॉप्टर या नाव से भी दागा जा सकता। ➢ ये **"दागो और भूल जाओ"** (fire and forget) की कार्य–प्रणाली पर आधारित हैं।
 फॉस्फोरस बम (Phosphorus Bomb)	❍ रूसी सेना द्वारा पूर्वी यूक्रेन के लुगांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्रों में फॉस्फोरस बम के हमले किए जा रहे हैं। ❍ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत **अत्यधिक आबादी वाले असैन्य क्षेत्रों में सफेद फॉस्फोरस बम का प्रयोग प्रतिबंधित** है। हालांकि, खुले स्थानों पर सैनिकों को कवर/सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके प्रयोग की अनुमति है। ❍ **सफेद फॉस्फोरस हथियार, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित हथियार है।** इसका उपयोग धुएं, रोशनी और युद्ध के दौरान **बम को अधिक घातक बनाने** के लिए किया जाता है। ❍ यह एक **पायरोफोरिक (वायु के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित होने वाला)** तत्व है। यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है, जिससे यह अत्यधिक क्षति भी पहुंचा सकता है।

VISION IAS

8468022022, 9019066066
www.visionias.in

/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चड़ीगढ गुवाहटी